कार्यालय जिलाधिकारी, मथुरा

दिनांक 21 नवंबर, 2019

निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय , मथुरा की विभागीय दो एम्बेसडर कार संख्या यू०पी० 85सी०-8005 एवं यू०पी० 85 जी०-6000 पैट्रोल चलित की नीलामी दिनांक 09.12.2019 समय संध्या 04.00 बजे जिला न्यायालय, मथुरा के केन्द्रीय कक्ष में की जायेगी। यह नीलामी " जैसी है जहां है" के आधार पर होगी।

अतः इच्छुक व्यक्ति/ प्रतिष्ठान नियत दिनांक एवं समय पर उपस्थित होकर नीलामी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। नीलामी की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नजारत, जिला न्यायालय, मथुरा में केन्द्रीय नाजिर के पास देखी जा सकती हैं।

(नागेन्द्र कुमार सिंह)

अध्यक्ष, नीलामी समिति,

कृते जिलाधिकारी, मथुरा।

प्रतिलिपिः-1. सूचना अधिकारी, मथुरा को हिन्दी दैनिक अमर उजाला, हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण में से किन्हीं दो समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

2. नोटिस बोर्ड, दीवानी न्यायालय परिसर, मथुरा।
3. नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी कार्यालय, मथुरा।
4. नोटिस बोर्ड, जिला पंचायत, मथुरा।
5. नोटिस बोर्ड, सदर तहसील, मथुरा।
6. नोटिस बोर्ड, होलीगेट, मथुरा।
7. नोटिस बोर्ड, मथुरा-वृन्दावन नगर निगम, मथुरा ।
8. नोटिस बोर्ड, माननीय जिला न्यायाधीश कार्यालय, मथुरा।
9. दैनिक राजपथ को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
10. बृज उपहार को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
11. ब्रज गरिमा दैनिक को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
12. दैनिक छोटी सी बात समाचार पत्र को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
13. नियो चैनल, मथुरा को निःशुल्क प्रचार प्रसार हेतु।
14. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,मथुरा को नीलामी संपादित कराने हेतु।
15. जनपद न्यायालय,मथुरा की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(नागेन्द्र कुमार सिंह)

अध्यक्ष, नीलामी समिति,

कृते जिलाधिकारी, मथुरा।

जिला न्यायालय के निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी की शर्तें

1. वाहन संख्या यू०पी० 85सी०-8005 एवं यू०पी० 85 जो०-6000 की नीलामी दिनांक 09.12.2019 को समय संध्या 4.00 बजे जिला न्यायालय परिसर, मथुरा में "जहां है जैसी है" के आधार पर की जायेगी।

2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को 10,000/-(दस हजार) रूपये जमानत राशि के बतौर अग्रिम जमा करने होंगे।

3. नीलामी के बाद सर्वाधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति की जमानत राशि रोककर शेष बोलीदारों की जमानत राशि नीलामी स्थल पर ही वापिस कर दी जायेगी।

4. सर्वाधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी वाले दिन ही कुल धनराशि का आधा भाग तुरन्त जमा करना होगा। शेष आधी धनराशि बोली स्वीकृत होने के पश्चात जमा करनी होगी।

5. यदि, शेष धनराशि नियत समयावधि के अन्दर जमा नहीं की जाती है तो पूर्व में जमा की गयी आधी धनराशि शासन के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

6. कुल नीलामी राशि पर व्यापार कर अधिकतम बोलीदार को अलग से भुगतान करना होगा।

7. वाहन के पंजीकरण आदि का व्यय अधिकतम बोलीदार को स्वयं वहन करना होगा तथा वाहन को ले जाने में किसी प्रकार का व्यय देय नहीं होगा एवं वाहन ले जाने में कोई घटना घटित होती है तो उसका पूर्ण दायित्व अधिकतम बोलीदार का होगा। यह विभाग इस प्रकार के किसी मामले में उत्तरदायी नहीं होगा।

8. नीलामी स्वीकृति का पूर्ण अधिकार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को होगा।

अध्यक्ष,
नीलामी समिति